प्रकरण सं0 146/21 अनवान निर्मला बनाम कृष्णा

Continuation Note Sheet

17-2-25 प्रार्थिया द्वारा अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रार्थना पत्र दर्ज हुवा। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया द्वारा प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहती है पंचायत की आम की पंच में दाखिल दस्तखत किया जावे। प्रार्थिया के निवेदन एवं प्रार्थिया के प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर प्रकरण को डिक्री स्तर पर खारिज किया जाता है पंचायत दायवा अधिनियम के तहत सलाह मूल वाद सं. 132/2021 अनवान निर्मला बनाम कृष्णा रहे।

Nirmala